Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का मुख्य अभियंता शहर, राजस्थान एवं दलाल 10 लाख 40 हजार रुपये रिश्वत लेते–देते गिरफ्तार**
- **करोड़ों रुपये के बिलों के भुगतान में कमीशन के रूप में लाखों रुपये की रिश्वत लिये जाने की थी सूत्र सूचना**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 सितम्बर, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज सूत्र–सूचना पर कार्यवाही करते हुये मनीष बेनीवाल मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहर राजस्थान को उसके दलाल कजोड़मल तिवाड़ी (प्राईवेट व्यक्ति) से **10 लाख 40 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते–देते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय को एक सूत्र–सूचना मिली की कि आर.एस.सी. इन्फ्राटेक डवलपरस् एल. एल.पी. द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर में चल रहे अपने कार्यों एवं टेण्डरों के लिये अधिकारियों को भारी मात्रा में रिश्वत दी जा रही है। प्राप्त सूचना का गोपनीय सत्यापन एवं तकनीकी विश्लेषण ब्यूरो मुख्यालय की तकनीकी शाखा द्वारा किया गया तथा निगरानी की गई। इससे विकसित सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि कजोड़मल तिवाड़ी प्रतिनिधि फर्म आर.एस.सी. इन्फ्राटेक डवलपरस् एल.एल.पी. को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर शहर द्वारा प्राप्त हरमाड़ा–बढ़ारना बीसलपुर योजना जयपुर शहर पाईपलाईन का 32 करोड़ राशि का टेण्डर प्राप्त होने पर उसकी एवज में मनीष बेनीवाल तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता ग्रामीण हाल मुख्य अभियंता शहर राजस्थान कमीशन के रूप में लाखों रुपये की रिश्वत प्रदान की जानी है।

आज उक्त सूत्र–सूचना में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल, पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **मनीष बेनीवाल** पुत्र श्री हरिसिंह निवासी ग्राम खडीन, तहसील रामसर जिला बाड़मेर हाल मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर शहर को उसके निवास पर दलाल **कजोड़मल तिवाड़ी** पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद निवासी प्रधानों का मोहल्ला, फागी, जयपुर से **10 लाख 40 हजार रुपये रिश्वत** राशि लेते–देते गिरफ्तार किया है। प्रकरण में संलिप्तता के आधार पर शफीक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक एवं विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र को भी बाद पूछताछ गिरफ्तार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एसीबी टीम द्वारा आरोपी शफीक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक के निवास की तलाशी में **6 लाख रुपये से अधिक नगद राशि** बरामद हुई है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ एवं इनके विभिन्न स्थानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।